सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 07/2017(प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2017/00016

अनवान

1. श्री भंवर पिता भेरा भील, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामविलास पुत्र धुलीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, उदयपुर
2. श्री जयपाल पुत्र धुलीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, उदयपुर
3. श्रीमती लाजवन्ती पुत्री धुलीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, उदयपुर
4. श्रीमती प्रियंका पुत्री धुलीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, उदयपुर
5. श्रीमती प्रतापबाई पत्नी धुलीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, उदयपुर
6. श्री प्यारेलाल पिता भेरा मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, उदयपुर
7. श्री नन्दलाल पिता भेरा मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, उदयपुर
8. श्री रेवाशंकर पिता भेरा मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल, उदयपुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाडोल

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री जगदीश पूर्बिया, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुरेश शर्मा, अधिवक्ता विपक्षीगण

अपील प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक : 06-02-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा गणेशपुरा तहसील झाडोल में स्थित आराजी नम्बर 331 रकबा 0.1300 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 332 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण के खाते दर्ज हुई है, जबकि उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थी के दादा श्री दल्ला पिता होमा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसके साबिक आराजी संख्या 172 एवं 173 थे। उक्त दोनों आराजीयात में दल्ला पिता होमा ने आराजी संख्या 172 रकबा 12 बिस्वा का सम्पूर्ण हिस्सा एवं आराजी संख्या 173 रकबा 4 बीघा 6 बीस्वा का आधा हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 4 के दादा, 5 के ससुर, 6 से 8 के पिता भेरा पिता लाला मेघवाल, निवासी गणेशपुरा को दिनांक 22.01.1971 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया था। उक्त विक्रय के पश्चात् वर्णित आराजी को भेरा पिता लाला ने अपने खाते में दर्ज कराकर पुनः

प्रार्थी के दादा दल्ला पिता होमा भील को सुपुर्द कर दी थी। उक्त विक्रय के पश्चात् दिनांक 03.04.1971 को जरिये नामान्तरकरण उक्त भूमि दल्ला पिता होमा भील के बजाय भेरा पिता लाला मेघवाल के नाम दर्ज स्वीकृति हुई, लेकिन उक्त नामान्तरकरण अवैध एवं शून्य होने से धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन होने से राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, झाडोल अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत भेरा पिता लाला व प्रार्थी के दादा भेरा पिता दल्ला एवं धुली बेवा दल्ला के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल के यहां वाद दायर किया। जिसमे उपरोक्त विक्रय अवैध एवं शून्य घोषित फैसला राज्य सरकार जरिये तहसीलदार के पक्ष में निर्णित किया जाकर साबिक आराजी संख्या 172 का सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 173 का आधा हिस्सा राज्य सरकार के खाते में बिलानाम दर्ज कर दिया गया तथा उक्त वाद में प्रतिवादीगणों के बयान में स्पष्ट जाहिर आया कि दल्ला पिता होमा ने वर्णित आराजी पर भेरा पिता लाला को रजिस्टर्ड विक्रय होने के बावजूद कब्जा दल्ला पिता होमा और उसके वारिस भेरा पिता दल्ला व धुली बेवा दल्ला का ही रहा था। उक्त भूमि बिलानाम दर्ज होने के पश्चात् विपक्षीगण के पूर्व पुरूष भेरा पिता लाला मेघवाल ने तत्कालीन पटवारी हल्का व अधिकारियों से मिलकर अपने आप को भूमिहीन व कब्जेधारक बताते हुए बिलानाम भूमि को अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करा दी। इस प्रकार उपरोक्त भूमि गलत तरीके से विपक्षी संख्या 1 से 8 के पूर्वज भेरा पिता लाला के नाम आवंटन हुई तथा इसी खातेदारी का विपक्षी संख्या 1 से 8 नाजायज फायदा उठाने की नियत से हडपना चाहते है। इस प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हुए विपक्षी संख्या 1 से 8 के पूर्वज के नाम आवंटन दिनांक 18.01.1979 एवं आराजी संख्या 331 व 332 के खातेदारी अधिकार को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा ने प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय के सिद्धान्त पर आधारित होने से प्रारम्भिक रूप से ही निरस्त योग्य है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुए इस न्यायालय में मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि मौजा गणेशपुरा तहसील झाडोल की आराजी संख्या 331 रकबा 0.1300 हेक्टेयर एवं 332 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि पर वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 8 खातेदार है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 8 के पूर्व पुरूष श्री भेरा पिता लाला मेघवाल के नाम खाते में दर्ज हुई एवं उसके मृत्यु के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 से 8 के विधिवत खाते में आयी है। विपक्षीगण के पूर्व पुरूष के नाम आवंटित भूमि दिनांक 18. 01.1979 के विरूद्ध 33 वर्ष बाद प्रार्थी के पिता भेरा पिता दल्ला भील ने एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.08.2012 को प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 दीवानी प्रक्रिया के तहत उपशमन होने से दिनांक 02.06.2016 को विधिवत रूप से निरस्त किया गया। एक बार अन्तिम रूप से विधिक निर्णय पारित होने के पश्चात उन्ही मिथ्या तथ्यों पर नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही है न ही ऐसा प्रार्थना पत्र विधि मान्य है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक

02.06.2016 की पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद उक्त निर्णय को निरस्त कराये जाने बाबत कोई अपील संस्थित नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में दिनांक 02.06.2016 को पारित निर्णय अन्तिम आदेश है। प्रार्थी को पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री भेरा भील द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में अंकित सम्पूर्ण तथ्य एवं अभिवचन एक समान है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता के अधिवक्ता भी एक ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूर्व उल्लेखित कथनों की पुनरावृति होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उक्त आराजीयात के संबंध में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य में जबरन दखल अंदाजी करने पर विपक्षीगण की ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल उदयपुर में प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का दिनांक 24.06.2011 को प्रकरण संख्या 65/2011 संस्थित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात पर विपक्षीगण का खातेदारी आधिपत्य स्वीकार करते हुए प्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक 18.01.1979 के लगभग 38 वर्ष बाद पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 के लगभग 1 वर्ष पश्चात गलत उन्हीं तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं एक बार खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) के प्रावधान लागू नहीं होते है। विपक्षीगण के खाते वर्तमान में आराजी संख्या 331 रकबा 0.1300 हेक्टेयर एवं 332 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी के दादा द्वारा विपक्षीगण के पूर्व पुरूष को दिनांक 22.01.1971 को विक्रय कर दी थी किन्तु प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी के दादा श्री दल्ला भील को विपक्षीगण के पूर्व पुरूष द्वारा उक्त आराजी पुनः सुपुर्द कर दी गयी हो। विपक्षीगण का उक्त आराजीयात पर विधिवत कब्जा होने से ही कब्जा के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण के पूर्व पुरूष श्री भेरा मेघवाल को हुआ है। आवंटन के पश्चात मौके पर विधिवत कब्जा सुपुर्द किया गया है एवं आवंटन के पश्चात् विधिवत आवंटन नियमों की पालना करने के फलस्वरूप ही विपक्षीगण को उक्त आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। विपक्षीगण को आवंटित भूमि से प्रार्थी अथवा उसके परिवारजन का कोई सरोकार नहीं है। वक्त आवंटन भूमि की किस्म बिलानाम थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार झाडोल से विवादित आराजी पर मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण में अपने पत्र क्रमांक राज/2018/66 दिनांक 20.02.2018 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में इस न्यायालय को अवगत कराया है कि मौजा गणेशपुरा के आराजी नम्बर 331 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 332 रकबा 0.2500 हेक्टेयर श्री रामविलास, जयपाल, लाजवन्ती, प्रियंका पिता धुलीलाल, प्रतापी बाई पत्नी धुलीलाल के नाम दर्ज रेकर्ड है। मौके पर वर्तमान में आराजी संख्या 331 रकबा 0.1300 हेक्टेयर पड़त होकर ट्रेक्टर से आधा हकत कर रखा है व एक और दक्षिण दिशा की ओर घास की झोपडी बनी हुई है। आराजी संख्या 332

रकबा 0.2500 हेक्टेयर एक तरफ उत्तर दिशा में दो बैल बंधे हुए है तथा दक्षिण दिशा में कुछ ईंटे पड़ी है जो कि भंवर पिता भेरा की है एवं आराजी नम्बर 332 में घास उगती है जो मोतबिरान अनुसार भंवर पिता भेरा भील ले जाता है। तहसीलदार से मौका प्राप्त होने पर पत्रावली में उपलब्ध होने पर उपखण्ड अधिकारी, झाडोल के आवंटन पत्रावली संख्या 1192/78 की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 18.01.1979 को निरस्त करने की मांग करते हुए विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा होना, विपक्षीगण के पूर्व पुरूष द्वारा भूमि विक्रय कर दिया जाना, प्रकरण में मिसप्रजेन्टेशन होना, मिलीभगत से आवंटन होना, आवंटन शर्तो की पालना न होना, पूर्व में पारित निर्णय मेरिट पर निर्णित न होना आदि आधार पर कथित आवंटन को शून्य बताते हुए इन्हीं आधारों पर कथित आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा ने बहस में भाग लेते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षीगण के पूर्व पुरूष को उक्त आराजीयात का आवंटन दिनांक 18.01.1979 को हुआ है। वक्त आवंटन भूमि की किस्म बिलानाम थी एवं उक्त आवंटन के लगभग 33 वर्ष पश्चात् प्रार्थी के पूर्व पुरूष द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती दिनांक 23.08.2012 को पेश किया था। जिसे दिनांक 02.06.2016 को खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व–न्याय के सिद्वान्त पर आधारित होने से प्रारम्भिक रूप से ही निरस्त योग्य है। वक्त आवंटन भूमि बिलानाम सरकार थी एवं नियमानुसार आवंटन कमेटी की राय के अनुसार उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण के पूर्व पुरूष को किया गया एवं विपक्षीगण के पूर्व पुरूष की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि विधिवत तरिके से विपक्षीगण के खाते दर्ज हुई है। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा न होकर विपक्षीगण का ही कब्जा है जो कि खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है। उपखण्ड अधिकारी, झाडोल द्वारा भी प्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। विपक्षीगण को आवंटित उक्त आराजीयात का प्रार्थी से कोई सरोकार नहीं है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्रकरण के विरूद्ध प्रार्थी या उनके पूर्व पुरूष द्वारा कोई अपील नहीं की गयी एवं पुराने तथ्यों को ही आधार बनाकर पुनः नये सिरे से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- 2017 (2) RRT Pg.878
- RLW 2007 (2) RJ Pg.1272
- 1995 (2) RBJ Pg. 780 (H.C.)
- RLW 2009(1) RJ Pg.160
- 2017(2) RRT Pg.972
- 2017(2) RRT Pg.1139(H.C.)
- 2018(1) RRT Pg.299

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगण के जवाब, आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद विपक्षीगण के पूर्व पुरूष को आवंटित आराजी जिसके हाल आराजी संख्या 172 के सम्पूर्ण हिस्से एवं 173 के आधे हिस्से का है। जिसके हाल आराजी नम्बर 331 रकबा 0.1300 हेक्टेयर एवं 332 रकबा 0.2500 हेक्टेयर हो विपक्षीगण के खाते दर्ज है, जिस पर उभयपक्ष द्वारा अपना अपना कब्जा बताया जा रहा है। आवंटन पत्रावली संख्या 1192/78 की प्रमाणित के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण के पूर्व पुरूष श्री भेरा पिता लाला मेघवाल द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षीगण को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, सरपंच एवं उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन सलाहकार समिति की राय के आधार पर हुआ है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में कब्जा प्राप्तकर्ता के रूप में विपक्षीगण के पूर्व पुरूष श्री भेरा मेघवाल के हस्ताक्षर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक तथा गवाहान की उपस्थिति में मौजूद है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 4/2012 में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 में प्रार्थी के पूर्व पुरूष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। जिसकी कोई अपील प्रार्थी के पूर्व पुरूष अथवा प्रार्थी द्वारा नही की गयी है। मात्र पुराने तथ्यों को पुनः आधार बनाकर गलत तरीके से तथ्यों को छुपाते हुए मेरिट के आधार पर प्रकरण को निर्णित कराने के लिये प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व–न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योकि जब एक बार उक्त प्रकरण गुण–अवगुण के आधार पर निर्णित कर दिया गया है तो पुनः उन्हीं आधारो पर उक्त तथ्यों को छुपाकर नियम 14(4) की कार्यवाही नही की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र नियम 14(4) रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान जमाबन्दी की नकल के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विपक्षीगण के पूर्व पुरूष को आवंटित उक्त आराजीयात पर विपक्षीगण को आवंटन नियमों की पालना के फलस्वरूप

खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही की जाना हम उचित नहीं समझते है। एक बार आवंटी को खातेदारी अधिकार हासिल हो जाने के बाद उसके काश्तकारी अधिकार केवल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार ही समाप्त किये जा सकते है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक 18.01.1979 के इतने लम्बे समय पश्चात उक्त आवंटन निरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं मयाद कण्डोन किये जाने बाबत् भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है एवं न ही सन्तोषप्रद कारण या स्पष्टीकरण इस बाबत पेश किया है। ऐसी स्थिति में मयाद के बिन्दु पर भी उक्त प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज योग्य है। विपक्षीगण के पूर्व पुरूष को आवंटित उक्त भूमि के आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध न होने से ऐसे आवंटन को बहाल रखा जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा गणेशपुरा तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 172 एवं 173 पर विपक्षीगण के पूर्व पुरूष श्री भेरा पिता लाला मेघवाल के नाम पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल संख्या 1192/78 से किया गया आवंटन दिनांक 18.01.1979 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर